कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 6511 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–09/2005 दिनांकः 14/08/2017

कार्यालय–ज्ञाप

श्री शत्रुघ्न पाल पुत्र श्री इन्द्रसेन बहादुर पाल, मुकाम–सत्यवानपुरी, उत्तरी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली–बस्ती, जिला–बस्ती का लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–2633एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–09/05, दि0–05.05.10 द्वारा दिनांक–30.06.2012 तक तथा अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक–6773एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–09/05, दि0–27.07.2015 द्वारा दिनांक–30.06.2018 तक के लिए किया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र, ग्राम विकास योजना वर्ष 2016–17 के अर्न्तगत स्वीकृत एन0एच0–26 से भौसियापुरवा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0, बस्ती के पत्रांक–5064/18यात–बस्ती वृत्त/16, दि0–30.07.16 द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑन लाइन आमंत्रित निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार श्री शत्रुघ्न पाल द्वारा बिड सं0–140766, दि0–28.09.16 के माध्यम से निविदा ऑन लाइन डाली गयी थी। उक्त निविदा की टेक्निकल बिड दिनांक–06.10.2016 को खोली गयी। उक्त निविदा में ठेकेदार द्वारा लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती के पत्रांक–3138/ए–2, दि0–13.01.16 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोण्डा से कराए जाने पर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोण्डा के पत्रांक–1कैम्प/1ए, दि0–25.10.16 द्वारा सूचित किया गया कि **"अनुभव प्रमाण पत्र में इंगित कार्य का कोई अनुबन्ध ठेकेदार श्री शत्रुघ्न पाल पुत्र श्री इन्द्रसेन बहादुर पाल, मुकाम–सत्यवानपुरी, उत्तरी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली–बस्ती, जिला–बस्ती के नाम से पंजीकृत नहीं किया गया है।"**

उपरोक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक–2203/विविध–गो0क्षे0/16, दि0–15.03.17 एवं पत्रांक–3140/विविध–गो0क्षे0/2017, दि0–06.04.17 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक–1922एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–09/2005, दि0–13.04.17 द्वारा ठेकेदार श्री शत्रुघ्न पाल को उक्त कृत्य हेतु काली सूची में डाले जाने हेतु कारण बताओ नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करते हुए पत्र प्राप्ति के 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर उत्तर प्रस्तुत किए जाने का समय दिया गया था। उक्त नोटिस अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती पत्रांक–2573/एम–22, दिनांक–21.06.2017 द्वारा दि0–20.06.2017 को ठेकेदार के पते पर चस्पा किया गया, किन्तु नियत अवधि में ठेकेदार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक–3611एम0टी0, दि0–08.06.17 द्वारा ठेकेदार को उत्तर प्रेषित करने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। उक्त अनुस्मरण पत्र एवं कारण बताओ नोटिस की छायाप्रतियां स्पीड पोस्ट के माध्यम से ठेकेदार के पंजीकरण में अंकित पते पर भेजी गयी साथ ही उक्त पत्र ठेकेदार को तामील कराने एवं तामील न होने की स्थिति में ठेकेदार के पंजीकरण में अंकित पते पर नियमानुसार चस्पा कराने हेतु पत्रांक–6000एम0टी0, दि0–27.7.17 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती के पत्रांक–3147/एम–22, दिनांक–08.08.17 द्वारा उक्त कार्यवाही किए जाने की आख्या प्राप्त हो गयी है, परन्तु इसके उपरान्त भी ठेकेदार का कोई उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, उक्त से यह स्पष्ट होता है कि ठेकेदार जानबूझकर पत्रों को व्यक्तिगत प्राप्त नहीं कर रहा है और कारण बताओ नोटिस की जानकारी होने पर भी उत्तर देने से बच रहा है। इससे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की प्रमाणिकता की पुष्टि होती है।

शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23स0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा जारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को

पेज सं0 2 पर

डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" में निम्नलिखित प्राविधान उल्लिखित हैं:–

"Chief Engineer may blacklist a contractor(including a firm with all its known partners & propriter) whether registrerd or otherwise where:-

a. There are sufficiant and strong reason to believe that the contractor or his employees has been guilty of malpractices such as brivery, corruption, fraud including substitution of, or interpoletion in tenders, pilfering or unauthorised use or disposal of Government materials issued for specific works etc."

अतः उक्त अपकृत्य के लिए शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/27–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दि0–24.08.82 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/एफ–68, दि0–08.10.82 द्वारा ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपर्युक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु(7), दि0–02.12.74 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **श्री शत्रुघ्न पाल पुत्र श्री इन्द्रसेन बहादुर पाल, मुकाम–सत्यवानपुरी, उत्तरी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली–बस्ती, जिला–बस्ती** को उपरोक्तानुसार विभाग के समक्ष फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर धोखा–धड़ी करने का दोषी पाए जाने के कारण उपरोक्त पंजीकरण आदेश दि0–27.07.2015 को निरस्त करते हुए उन्हें **ब्लैकलिस्ट (Black List)** किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

ह0/–
(अनीस अहमद खॉं)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **उप सचिव**, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–15.03.17 व दिनांक–06.04.17 के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो0नि0वि0 बस्ती।
10. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, बस्ती को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त ठेकेदार को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

पंजीकृत 12. श्री शत्रुघ्न पाल पुत्र श्री इन्द्रसेन बहादुर पाल, मुकाम–सत्यवानपुरी, उत्तरी आवास विकास कालोनी, थाना कोतवाली–बस्ती, जिला–बस्ती

16.8.17
(रमेश चन्द्र शुक्ला)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ